



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042026-271614
CG-DL-E-07042026-271614

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2026/चैत्र 16, 1948

No. 101]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2026/CHAITRA 16, 1948

इस्पात मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2026

फा. सं. 1(6)/2024-आईडी-2.— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड I, अनुच्छेद 12 में प्रकाशित दिनांक 23 दिसंबर, 2024 को जारी फा.सं.1(6)/2024-आईडी-2 के तहत जारी ग्रीन स्टील वर्गीकरण अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए ग्रीन स्टील प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अधिसूचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

अनुच्छेद 12: मौजूदा: प्रमाणपत्र वार्षिक आधार (वित्तीय वर्ष) पर जारी किया जाएगा। यदि इस्पात संयंत्र अधिक बार एमआरवी का विकल्प चुनते हैं, तो आवश्यकता के अनुसार प्रमाणपत्र वर्ष में एक से अधिक बार जारी किया जा सकता है।

अनुच्छेद 12: संशोधित: (i) प्रमाणपत्र वार्षिक आधार (वित्तीय वर्ष) पर जारी किया जाएगा। यदि इस्पात संयंत्र उत्पाद-वार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनते हैं, तो उत्पाद-विशिष्ट एमआरवी वर्ष के दौरान आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है और उत्पाद के बैचों के लिए प्रमाणपत्र वर्ष में किसी भी समय आवश्यकता के अनुसार जारी किया जा सकता है।

(ii) यदि कोई उत्पादक आगामी वित्तीय वर्ष में मौजूदा ग्रीन-रेटेड प्रमाणपत्र की निरंतरता के लिए आवेदन करता

है और उस अगले वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत करता है, तो ग्रीन स्टील प्रमाणन रूपरेखा के तहत सुचारू ट्रांजिशन और अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, जारी किए गए ग्रीन स्टील प्रमाणपत्रों की वैधता को अगले वित्तीय वर्ष के एमआरवी परिणामों के अधीन जून माह तक अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकता है।

- (iii) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी), ग्रीन स्टील प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नामित कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, वार्षिक ग्रीन स्टील प्रमाणपत्रों की वैधता का उपर्युक्त अस्थायी विस्तार प्रदान कर सकती है।
- (iv) इस प्रावधान के तहत वैधता का विस्तार केवल उन इकाइयों पर लागू होगा जिन्होंने तत्काल आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रमाणन हेतु आवेदन किया है।
- (v) यदि आवेदक ग्रीन रेटिंग के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है या निचली श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त करता है तो उपर्युक्त विस्तार उस वर्ष के 31 मार्च को पूर्वप्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा।
- (vi) एनआईएसएसटी इस्पात मंत्रालय को ऐसे विस्तारों के औचित्य सहित एक समेकित मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

2. यह शुद्धिपत्र इसके आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

विनोद कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL

CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th April, 2026

F. No. 1(6)/2024-ID-2.— In partial modification of the Green Steel Taxonomy Notification issued vide F. No. 1(6)/2024-ID-2 dated the 23rd December, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, Para 12 of the Notification regarding issuance of Green Steel Certificate is modified as under:

Para 12: Existing: The certificate shall be issued on yearly basis (financial year). In case the steel plants opt for MRV more frequently, then the certificate may be issued more than once in a year as per the requirement.

Para 12: Modified: (i) The certificate shall be issued on yearly basis (financial year). In case the steel plants opt for product-wise certification then the product specific MRV can be done as per the requirement during the year and the certificate may be issued for batch(es) of the product anytime in a year as per the requirement.

- (ii) If a producer applies in the subsequent financial year (FY) for the continuation of an existing annual green-rated certificate and submits the required data for that next FY, the validity of the issued Green Steel Certificates may be provisionally extended until June of the contiguous FY, subject to the MRV results for the next FY, in order to facilitate a smooth transition and ensure compliance under the Green Steel Certification framework.
- (iii) The National Institute of Secondary Steel Technology (NISST), being the designated implementing agency for issuance of Green Steel Certificates, may grant aforesaid provisional extension of validity of annual Green Steel certificates.

- (iv) Extension of validity under this provision shall be applicable only to those units that have applied for certification for the immediate succeeding financial year.
- (v) In case the applicant does not qualify for green rating or qualifies for lower category the aforesaid extension will cease to exist retrospectively on 31st March of the year.
- (vi) NISST shall submit a consolidated monthly report including justification of such extensions to Ministry of Steel.

2. This Corrigendum shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

VINOD K. TRIPATHI, Jt. Secy.